OFFICE OF THE LABOUR COMMISSIONER
(PLANNING BRANCH)
GOVT. OF NCT OF DELHI
5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054

F .No. 28/11/792/P&S/Lab/2025/ 1058 Dated:- 24/03/2025

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

विषय: दिनांक 27.03.2025 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 182, श्री सोम दत्त द्वारा पूछे गये प्रशनों का उत्तर।

महोदय,

आपके कार्यालय से प्राप्त पत्र संख्या 11 (बी-1) VIII/2025-30/ वी.एस.एस./ प्रश्न शा./2159 दिनांक 17.03.2025 के संदर्भ में इस कार्यालय से उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 182 के उत्तर की 100 प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न हैं। इस पत्र के साथ उत्तर और उसकी सॉफ्ट कॉपी पी.डी.एफ फॉर्म में भेजी जा रही है।

यह उत्तर माननीय मंत्री (कानून और न्याय, श्रम, रोजगार, विकास; कला, संस्कृति और भाषा और पर्यटन) द्वार अनुमोदित किया गया है।

भवदीया,

संलग्न: उपरोक्त

सुनीता

(सुनीता कालरा)
सहायक निदेशक (योजना)

विभाग का नाम: श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(दिल्ली भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड)

विभाग का पता: 5 शाम नाथ मार्ग, नई दिल्ली - 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या:- **182**

दिनांक :- 27/03/2025

प्रश्नकरता का नाम :- श्री सोम दत्त

क्या माननीय श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या लेबर कार्ड बनवाने का कार्य अभी दिल्ली में जारी हैं ;	(क) दिल्ली भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, दिल्ली सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया निरंतर जारी है।
(ख) लेबर कार्ड बनवाने कि क्या प्रकिया और शर्त हैं;	(ख) पंजीकृत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु अपनाये जाने वाली पद्धति एवं अपेक्षित दस्तावेजो का पूरा ब्यौरा संलग्न है।
(ग) पिछले 5 वर्षो में दिल्ली कुल कितने नए लेबर कार्ड जारी किये गए; और	(ग) पंजीकरण की वैधता एक वर्ष की होती है तथा इसके बाद पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य है। दिल्ली भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पिछले 5 वर्षो में किये गए कुल पंजीकरण का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित हैं:- 2020 - 2021: 189931 2021 - 2022: 1002451 2022- 2023: 93908 2023- 2024: 22957 2024- 2025: 54319
(घ) लेबर कार्ड बनवाने के लिए अभी कुल कितने आवेदन लंबित है और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं?	(घ) दिनांक 19.03.2025 तक 29420 पंजीकरण लंबित है जोकि प्रक्रियाधीन हैं।

2020 - 2021	189931
2021 - 2022	1002451
2022- 2023	93908
2023- 2024	22957
2024- 2025	54319

हस्ताक्षर,

( )

विभागाध्यक्ष

कृते
Joint Labour Commissioner (HQ)
Labour Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-110054

1. निर्माण श्रमिको के रूप में पंजीकरण के लिए निम्नलिखित चरण हैं

चरण १ – नागरिक श्रमिक निर्माण श्रमिक के रूप में नया पंजीकरण करने के लिए वेब पोर्टल पर जायें

वेब पोर्टल लिंक –http://dbocwwb.delhi.gov.in/

चरण २- आवेदन का नया पंजीकरण पृष्ट खोलने के लिए नया पंजीकरण बटन पर क्लिक करें।

चरण ३- पंजीकरण पृष्ट पर सभी विवरण दर्ज करने के बाद, "रजिस्टर" बटन पर क्लिक करें। इससे निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण पृष्ट खुल जायेगा।

पंजीकरण पृष्ट में निम्नलिखित फील्ड हैं :

पृष्ट 1-मूलभूत कार्मिक विवरण

पृष्ट 2- कार्य स्थल का विवरण

पृष्ट 3- परिवार और नामांकन विवरण

पृष्ट 4- बैंक विवरण

पृष्ट 5- यूनियन सदस्यता विवरण

पृष्ट 6- किसी अन्य राज्य बोर्ड के सदस्य

पृष्ट 7- सहायक का शपथ पत्र

पृष्ट 8- आवेदक का शपथ पत्र

पृष्ट 9- आवेदन पूर्वालोकन

पृष्ट 10- भुगतान

पृष्ट 11- पावती- भुगतान हो जाने के बाद, श्रमिक को सबमिट बटन पर क्लिक करना चाहिए। सबमिट करने के बाद OTP जनरेट होता है, जो आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ड मेल आई डी पर प्राप्त होता है। OTP सबमिट करने के बाद एक पावती पर्ची जनरेट होती है और श्रमिक को SMS और मेल के माध्यम से भी पुष्टि मिलती है।

टेली- सत्यापन के बाद, पंजीकरण अधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है, आवेदन को सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाती है, डिजिटल प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।

2. पंजीकरण के लिए आवशक दस्तावेजो की सूची –

निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

१. आवेदक की फोटो लाइव विडियो के साथ
२. 90 दिनों का रोजगार प्रमाण पत्र
३. स्व- सत्यापित आधार कार्ड
४. स्थानीय पते का प्रमाण
५. जन्म तिथि प्रमाण
६. बैंक खाता का प्रमाण

24/3/25
(Vinit Sharma)
DEO